limited. We have to ensure that the basic objective of the Programme which is '500 population in the plains areas and 250 population in all other areas', which was the original objective in the year 2000, is met sooner rather than later, and I am hoping it by 2014.

MR. CHAIRMAN: Question No. 386. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: माननीय सभापति जी,

श्री सभापति: आप अपनी जगह पर भी नहीं बैठे हैं, आप वहां से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नं. 386।

वैद्यनाथ समिति द्वारा की गई संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*386. **सुश्री अनुसुइया उइके** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पकालीन सहकारी ऋण ढांचे में सुधार किए जाने हेतु वैद्यनाथन समिति-1 का गठन किया गया था और क्या उक्त समिति ने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैद्यनाथन समिति-2 ने दीर्घकालिक सहकारी ऋण ढांचे में सुधार किए जाने के संबंध में भी अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने वैद्यनाथन समिति-2 द्वारा की गई संस्तुतियों पर अब तक क्या कार्रवाई की है; और

(च) क्या सरकार इन संस्तुतियों को कार्यान्वित किए जाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, वर्ष 2004 में प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था। अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट में मोटे तौर से निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। (i) एसटीसीसीएस के लिए एक वित्तीय पैकेज तैयार किया जाए जिसमें संचित हानियों और पीएसीएस (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां) सहित सभी सहकारी संस्थाओं को 7% के न्यूनतम जोखिम पूंजी आस्ति अनुपात (सीआरएआर) पर लाने के लिए सहायता देना शामिल हो, (ii) तकनीकी सहायता जिसमें वित्तीय प्रबंधन कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की लागत शामिल हो, (iii) कंप्यूटरीकरण और (iv) कानूनी एवं संस्थागत सुधार।

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) संबंधी प्रो. वैद्यनाथन कार्यदल ने अपनी सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) को सदस्यों से सभी प्रकार की जमाराशियां लेने और अपने सदस्यों को सभी प्रकार के ऋण प्रदान करने; एसटीसीसीएस की संघीय इकाइयों सहित किसी विनियमित वित्तीय संस्था से उधार लेने; राज्य इक्विटी को वापस लेने; 7% की न्यूनतम सीआरएआर को पांच वर्षों में बढ़ाकर 12% करने के लिए अनुमति देने की सिफारिशें भी की थी।

एलटीसीसीएस संबंधी वैद्यनाथन कार्यदल की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया था। एडीडब्ल्यूडीआरएम, 2008 तथा एसटीसीसीएस, पुनरुज्जीवन पैकेज के एलटीसीसीएस पर पड़े प्रभाव को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया था कि एलटीसीसीएस पैकेज की जरूरतों का पुन: विश्लेषण किया जाए। तदनुसार, भारत सरकार में एलटीसीसीएस हेतु एक अलग से पुनरुज्जीवन पैकेज की व्यवहार्यता एवं जरूरत की जांच करने के लिए सितम्बर, 2009 में वित्तीय सेवाएं विभाग के तत्कालीन अपर सचिव श्री जी.सी. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक और कार्यदल का गठन किया था।

सरकार द्वारा वैद्यनाथन कार्यदल एवं चतुर्वेदी कार्यदल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, एलटीसीसीएस के पुनरुज्जीवन पैकेज पर विचार किया जा रहा है।

Implementation of recommendations of the Vaidyanathan Committee

†*386. MISS ANUSUIYA UIKEY: (a) whether the Vaidyanathan Committee-I was constituted for revival of short-term co-operative loan structure and it has submitted its recommendations;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Vaidyanathan Committee-II has submitted its recommendations for revival of long-term co-operative loan structure as well;

(d) if so, the details thereof;

(e) the action taken by the Government so far on the recommendations of the Vaidyanathan Committee-II; and

(f) whether Government would consider implementing these recommendations and if so, by when?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) to (f) To strengthen the Rural Cooperative Credit Institutions, the Government of India had constituted a Task Force in 2004 under the Chairmanship of Prof. A. Vaidyanathan. The Task Force report on Short Term Co-operative Credit Structure (STCCS) broadly recommended for (i) a financial package for STCCS covering accumulated losses and assistance to bring all Cooperatives, including PACS (Primary Agriculture Cooperative Societies) to minimum Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of 7%, (ii) Technical assistance to cover the cost of training and capacity building to improve the financial management skills, (iii) computerization and (iv) legal and Institutional reforms.

The recommendations of Prof. Vaidyanathan Task Force on the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS) *inter-alia* recommended allowing the Primary Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs) to access all types of deposits from members, to provide all types of loans to its members, to borrow from any regulated Financial Institution including federal units of STCCS, to retire the State equity, to stipulate a minimum CRAR of 7% to be increased to 12% in five years.

Consultations were held with the State Governments on the report of the Vaidyanathan Task Force on LTCCS. In view of the impact of the ADWDRS, 2008 and the STCCS revival package on the LTCCS, it was decided to reanalyse the needs of the LTCCS package. Accordingly, the Govt. of India in September, 2009 formed another Task Force under the Chairmanship of Shri G.C. Chaturvedi, the then Additional Secretary, Department of Financial Services to examine the viability and the need for a separate revival package for the LTCCS.

Based on the recommendations of the Vaidyanathan Task Force and the Chaturvedi Task Force, revival package for LTCCS is under consideration of the Government.

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी है कि सहकारी ऋण संरचना सम्बन्धित प्रो. वैद्यनाथन कार्यदल ने जो सिफारिशें की थीं तथा 2008 में पुनरुज्जीवन पैकेज के एलटीसीसीएस पर पड़े प्रभाव को देखते हुए 2009 में उन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग के तत्कालीन अपर सचिव श्री जी.सी. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक और कार्यदल का गठन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या कोई निश्चित समयावधि है, जिसके अन्दर प्रो. वैद्यनाथन कार्यदल की सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, वैद्यनाथन कार्यदल की पहली रिपोर्ट से सम्बन्धित भारत सरकार का सारा पैसा दिया जा चुका है।

जहां तक दूसरी रिपोर्ट का सवाल है, जब इसके ऊपर रिपोर्ट आई है, उसके बाद एक और कार्यदल, चतुर्वेदी कार्यदल का इसलिए गठन किया गया, ताकि बीच में जो debt waiver scheme आ गई और पहले वाले वैद्यनाथन रिपोर्ट के आधार पर जो पैसा release हुआ था, उन दोनों का क्या impact पड़ा है, इसको देख लिया जाए। भारत सरकार के पास चतुर्वेदी कार्यदल की रिपोर्ट भी आ गई है। वैद्यनाथन कार्यदल की long term credit cooperative structure के बारे में भी रिपोर्ट है और दूसरे कार्यदल की रिपोर्ट भी आ गई है। अभी ये भारत सरकार के विचाराधीन हैं और इसके ऊपर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से सहकारी बैंकों के पुनरुत्थान के लिए वैद्यनाथन कार्यदल की अनुशंसा का लाभ राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्राप्त हुआ है, उसी तरह से केन्द्रीय मंत्री परिषद् द्वारा पारित होने के उपरान्त भी वैद्यनाथन कार्यदल की जो अनुशंसाएं हैं, अभी तक दीर्घकालीन साख संरक्षण वाले बैंक को उसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि दीर्घकालीन साख की जो सिफारिशें हुई हैं, उन अनुशंसाओं को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

श्री नमो नारायण मीणा: सर, मैं पहले बता चुका हूं कि अभी यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और इसके ऊपर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन: सभापति महोदय, वैद्यनाथन कार्यदल ने जो सिफारिश की है, उसके अन्दर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मैम्बर्स की संख्या को कम किया गया है। जिन लोगों ने शुरुआत में उस बैंक की स्थापना की, ऐसे जो individual memebers हैं, उन्हें तीन-चार categories के साथ मिला कर उनका अस्तित्व खत्म करने का प्रयास हुआ है। जिन्होंने शुरू से बैंक की स्थापना की थी और जो कई वर्षों तक के बैंक हैं, उनको ही वहां से बाहर निकालने का प्रयास इसके अन्दर किया गया है। मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करके उन लोगों को अथवा उनके वारिसों को न्याय देगी?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

Now, statement by Minister correcting answer to questions.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

High Infant Mortality Rate in Andhra Pradesh

387. SHRIMATI T. RATNA BAI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Asifabad area of Adilabad district in Andhra Pradesh, the Infant Mortality Rate (IMR) is 183 out of 1000, whereas the national average is 50 only;